प्रेस विज्ञप्ति

सराहनीय कार्य जनपद एटा।

एटा ~ जलेसर क्षेत्र में बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने तथा जबरन धर्म परिवर्तन करा शादी कराने के मामले में एटा पुलिस को मिली बडी सफलता, एटा पुलिस की विशेष टीम ने अपहृता को दिल्ली से किया सकुशल बरामद, अब तक 14 आरोपी गिरफ्तार कर भेजे जेल।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री सुनील कुमार सिंह के निर्देशन में थाना जलेसर पुलिस द्वारा थाना जलेसर पर पंजीकृत मुअसं- 513/20 धारा 366 भादंवि व 3, 5(3) उ.प्र.विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधि.2020 में अपहृता को सकुशल बरामद करने में सफलता प्राप्त की गयी है।

घटना:- दिनांक 17.12.2020 को वादी श्री प्रवीण कुमार निवासी कस्बा जलेसर द्वारा थाना जलेसर पर इस आशय की सूचना दी गई कि मोहल्ला छत्ता थाना जलेसर निवासी मो0 जावेद पुत्र रहीम उल्लाह, नाजिर पुत्र रहीम उल्लाह, निशानाज पत्नी मोहम्मद नाजिर, रोशन जहाँ पुत्री रहीम उल्लाह व साजिद पुत्र रहीम उल्लाह, रिजवाना पत्नी मो0 साजिद व कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा करीब एक माह पूर्व वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने तथा जबरन धर्म परिवर्तन कर शादी कर लेने के संबंध में थाना जलेसर पर मुअसं- 513/20 धारा 366 भादंवि व 3, 5(3) उ.प्र.विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधि. 2020 पंजीकृत कराया गया।

बरामदगी:- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा द्वारा घटना में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा अपहृता की सकुशल बरामदगी हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना जलेसर को निर्देशित किया गया साथ ही एटा पुलिस की विशेष टीम को प्रभारी निरीक्षक थाना जलेसर को वांछित सहयोग हेतु लगाया गया। थाना जलेसर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में अब तक कुल 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा गया है। दिनांक 23.12.2020 को एटा पुलिस की विशेष टीम द्वारा अथक प्रयास कर मुकदमा उपरोक्त की अपहृता को दिल्ली से सकुशल बरामद किया गया है। अपहृता/पीड़िता का मेडिकल परीक्षण एवं प्रकरण में अन्य विधिक कार्यवाहियां की जा रही है।